रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 209] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 21, 1982/अग्रहायण 30, 1904

No. 209] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 21, 1982/AGRAHAYANA 30, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्व० सूचना सं० 41-ई०टी०सी० (पी०एन०)/82

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1982

विषय :– 1-1-1983 से 31-12-1983 तक संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों, कनाडा और आस्ट्रिया को खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत कुछ सूती कपड़ों/और या उन और मनुष्य निर्मित धागों से तैयार मदों के निर्यात के लिए योजना।

मिसिल सं० 2 (53)/82-ई-1.--प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना सं० 36-ई०टी०सी० (पी०एन०)/82 दिनांक 18 सितम्बर, 1982 के क्रम में है और यह संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों (जर्मन संघीय गणराज्य, फ्रांस, इटली, बेनीलक्स, यू० के०, आयरलैंड गणराज्य, डेनमार्क और ग्रीस) आस्ट्रिया और कनाडा को कुछ सूती कपड़ों और या ऊन और मनुष्य निर्मित धागों से तैयार मदों के निर्यात से संबंधित है। स्वीडन को कपड़ों/तैयार मदों के निर्यात के संबंध में एक सार्वजनिक सूचना अलग से जारी की जाएगी।

2. योजना के नियंत्रण के लिए अभिकरण:—जब तक अन्यथा रूप से निदेश न दिए जाएं सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई (टेक्सप्रोसिल) उन सभी कपड़ों और तैयार मदों की निर्यात हकदारियों का नियतन करेगी जिनके लिए निर्यात हकदारियों का नियतन ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, (डब्ल्यू एंड डब्ल्यू ई० पी० सी) नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा किंतु ऊनी कपड़े और तैयार मदें इसमें शामिल नहीं होंगी। लेकिन, ऊनी कपड़ों और तैयार मदों सहित सभी कपड़ों और तैयार मदों के मामले में आवश्यक प्रमाणन सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत आने वाले वस्त्र उत्पादों की श्रेणियों की सूचना सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् और ऊन और ऊनी सामान निर्यात संवर्धन परिषद के पास उपलब्ध है। सरकार को यह अधिकार होगा कि वह योजना के नियंत्रण के लिए अभिकरणों के संबंध में जैसा उचित समझे, परिवर्तन करेगी।

3. खंडों के लिए आरक्षण :—जहां कहीं, सूती, ऊनी और मनुष्य निर्मित धागों को लाया जाएगा। ऊनी और सिंथेटिक मदों के लिए आरक्षण विशिष्ट मात्राओं के अनुसार किया जाएगा। वस्त्र आयुक्त द्वारा वास्तविक मात्रा का निर्धारण, भूतकालीन प्रतिकृति और प्रचलित प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए संबद्ध परिषदों से उन की निश्चित आवश्यकताओं को

प्राप्त करने के बाद किया जाएगा। मांग की प्रवृत्ति पर निर्भर करते हुए इस तरह नियत की गई मात्राएं संशोधित की जा सकती है।

4 धीमी गति वाली मदें —(1) 1982 वर्ष के दौरान अपनाई गई पद्धति के आधार पर भूतकालीन निर्यातों और प्रचलित पद्धतियों के आधार पर वस्त्र आयुक्त द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से अभिज्ञात धीमी गति वाली मदों के मामले में पेशगी निक्षेप और बैंक गारंटी के संबंध में प्रावधानों को समाप्त कर दिया जाएगा।

(2) अभिज्ञात धीमी गति वाली मदों के लिए आवेदक को किसी भी बैंक गारंटी या नकद निक्षेप के बिना सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा निर्धारित प्रपत्र में केवल एक निष्पादन बांड ही प्रस्तुत करना होगा।

5. पेशगी, निक्षेप, बैंक गारंटी और उनकी जब्ती :— एक निर्यातक जो पहले आए सो पहले पाए संविदा आरक्षण या विशेष निर्यात हकदारी अवधि में पहले आए सो पहले पाए तैयार माल पद्धति के अधीन या भूतकालीन निष्पादन के पूरे वर्ष के भीतर उसे आवंटित निर्यात हकदारी के 90 प्रतिशत से कम का निर्यात करता हो तो उसका पेशगी निक्षेप/बैंक गारंटी को जब्त नहीं किया जाएगा। एक निर्यातक का निष्पादन 75 प्रतिशत से कम नहीं है। किंतु 90 प्रतिशत से ज्यादा का निष्पादन नहीं करता है तो अनुपातिक जुर्माना अदा करना होगा। यदि निर्यात हकदारी 75 प्रतिशत से कम का हो तो निर्यातक का पूरा के पूरे पेशगी निक्षेप/बैंक गारंटी को जब्त कर लिया जाएगा। जहां कहीं इस प्रकार का मामला उत्पन्न होगा तो यह अनिवार्य बाध्य शर्तों के अधीन होगा।

1 2 उन मामलों पर जहां पर अवधि के भीतर उपयोग 75% से कम नहीं है तो निर्यातक का निर्यात हकदारी वर्ष के भीतर दूसरी आवंटन अवधि में वृद्धि के लिए विकल्प दिया जा सकता है। वृद्धि के लिए आवेदन पत्र संबद्ध निर्यात हकदारी अवधि के समाप्त होने के एक महीने के भीतर भेजे जाएंगे। ऐसे मामलों में, निर्यातकों को शेष मात्रा के लिए, सार्वजनिक सूचना सं० 36 ईटीसी (पीएन)/82, दिनांक 18 सितम्बर, 1982 की कंडिका 5 में दी गई दर से दुगुनी की बैंक गारंटी के साथ एक बांड निष्पादित करना होगा। पूरा निर्यात करने पर, संपूर्ण बांड/बैंक गारंटी रद्द कर दी गई समझी जाएगी।

1 3 इस नीति के अन्तर्गत, वे निर्यातक जिनको निर्यात हकदारी आवंटित की गई है, लेकिन वे उनको उपयोग में नहीं लाते हैं, इस संबंध में उनके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही को ध्यान में रखे बिना, भविष्य में होने वाले आवंटन से उनको वंचित किया गया समझा जाएगा।

6. अग्रिम धनराशि निक्षेप/बैंक गारंटी के जब्त करने के विरुद्ध अपील —आवंटित निर्यात हकदारियों का उपयोग न करने पर अग्रिम धनराशि निक्षेप/बैंक गारंटियों को जब्त करने पर निर्यातकों द्वारा किए गए प्रतिवेदनों पर उचित तरीके से विचार करने के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित प्रक्रिया लागू होगी। सूती वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद् द्वारा अग्रिम धनराशि निक्षेप/बैंक गारंटी को जब्त करने पर सम्बंधित निर्यातक इस प्रकार जब्त किए गए के विरुद्ध वस्त्र आयुक्त, बंबई को, जब्त करने के संबद्ध में पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर, अपील कर सकता है। वस्त्र आयुक्त, प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, शीघ्र से शीघ्र निर्णय देगा। यदि निर्यातक, किसी मामले में, वस्त्र आयुक्त के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह निर्णय से संबंधित पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है। दूसरी अपील वस्त्र विभाग के यहां होगी और इसकी सुनवाई सरकार द्वारा गठित अपील समिति द्वारा की जाएगी।

7 निर्यात हकदारियों के आवंटन के लिए पर्यवेक्षण :— निर्यात हकदारियों के आवंटन में संबंधित मामलों पर वस्त्र आयुक्त, बम्बई, दिन प्रतिदिन पर्यवेक्षण जारी रखेगा। अध्यक्ष के रूप में वस्त्र आयुक्त और सदस्यों के रूप में संबंद्ध निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधियों के साथ एक समन्वय समिति समय-समय पर नीति के परिचालन की पुनरीक्षा करेगी। उन मामलों में, जहां पर मतभेद होगा, वस्त्र आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

8. सीमा शुल्क द्वारा निकासी

(क) नियंत्रण के अधीन उत्पाद :—इस उद्देश्य के लिए मनोनीत वस्त्र सूती निर्यात संवर्द्धन परिषद अथवा अन्य किसी उचित प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्यात हकदारी के प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पर और व्यक्तिगत प्रेषण के लिए पोतलदान बिलों की अनुलिपि प्रति पर सीमा शुल्क प्रमाणन प्राधिकारियों द्वारा लदान के पत्तनों पर के सत्यापन के बाद ही पोतलदान अनुमेय होगा।

(ख) हथकरघा उत्पाद :—जहां तक नियंत्रण से तदनुरूपी मदों सभी हथकरघा वस्त्रों/तैयार पोशाकों के निर्यात से संबंधित है, समन्वय प्रपत्र के भाग-2 में वस्त्र समिति द्वारा "निरीक्षण पृष्ठांकन" के आधार पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पोतलदान अनुमेय होगा।

(ग) भारतीय मदों के अन्तर्गत आने वाली तैयार पोशाकें :— "भारतीय मदों" के संबंध में जो कि भारत की परंपरागत लोकजीवन से संबंधित हस्तशिल्प वस्त्र उत्पाद है उन्हें यूरोपीय आर्थिक समुदाय, राष्ट्र अमरीका, फिनलैंड, आस्ट्रिया और कनाडा को निर्यात के लिए सीमाशुल्क सदनों द्वारा पोतलदान

की अनुमति विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) अथवा वस्त्र समिति द्वारा जारी किए गए उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर ही होगी।

9.(क) निर्यात प्रमाणपत्र, उद्गम प्रमाण पत्र और वीसा — संबंधित द्विपक्षीय वस्त्र समझौते के अधीन निम्नलिखित अपेक्षित प्रमाणन सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद अथवा इस संबंध में एतद्द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य निकाय से जारी किए जाएंगे :

1. अमरीका

(क) सभी मिल निर्मित वस्त्रों और तैयार वस्त्रों के लिए वीसा जिनका परेषण अमरीकी डालर 250 से अधिक है।

(ख) अमरीकी डालर 250 तक अथवा इससे कम मूल्य के परेषण के लिए छूट प्रमाण-पत्र।

(2) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्य :

(क) शक्ति चालित करघे/मिल निर्मित/मूल रूप से सलाई से बनाई हुई सभी नियंत्रण मदों के लिए उद्गम के लिए निर्यात प्रमाण पत्र और उद्गम प्रमाणपत्र।

(ख) शक्ति चालित करघे/मिल निर्मित/सलाई से बनाई हुई मूल के अनियंत्रित मदों के लिए उद्गम प्रमाण पत्र।

(3) कनाडा : शक्ति चालित करघे/मिल निर्मित या सलाई से बनाए हुए मूल के वस्त्र और तैयार वस्तुएं जो 500 कनाडा डालर तक के मूल्य के परेषणों को छोड़कर नियंत्रण शर्त के अधीन है के लिए निर्यात प्रमाणपत्र।

(4) आस्ट्रिया : शक्ति चालित करघे/निर्मित मूल के वस्त्र/तैयार वस्तुएं जो नियंत्रण या निगरानी के अधीन है, के लिए प्रमाण पत्र।

9 (ख) हथकरघा छूट प्रमाण पत्र :

कनाडा को तदनुरूपी मदों के नियंत्रण के सभी हथकरघा वस्त्रों/तैयार वस्तुएं आस्ट्रिया को सूती हथकरघा से बनी हुए वस्त्र/तैयार वस्तुओं, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों और यू० एस० ए० को सभी हथकरघा वस्त्रों और तैयार वस्तुओं के मामले में वस्त्र समिति ऐसे उत्पादों के लिए द्विपक्षीय समझौते में निर्धारित किए गए अनुसार प्रमाण पत्र जारी करेगी।

10 सरकार को यह अधिकार होगा कि वे पूर्व सूचना दिए बिना ही उपर्युक्त किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है।

11 संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद् और वस्त्र आयुक्त के कार्यालय, वस्त्र समिति और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के पते नीचे दिए गए हैं :—

(1) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, इंजीनियरिंग सेंटर, पांचवीं मंजिल 9, मैथ्यू रोड बम्बई-400004

(2) ऊन और ऊनी सामान निर्यात संवर्धन परिषद 612/714, अशोक इस्टेट 34, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001

(3) वस्त्र आयुक्त का कार्यालय पोस्ट बाक्स सं० 11500, बम्बई-400020

(4) वस्त्र समिति "क्रिस्टल" 79, डा० एनि बेसेंट रोड, बम्बई-400018

(5) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) वेस्ट ब्लाक-7, आर० के० पुरम, नई दिल्ली-110022

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 21st December, 1982

PUBLIC NOTICE NO. 41-ETC(PN)/82

Subject : Scheme for exports under OGL-3 of certain fabrics and/or made-ups items made from cotton, wool and man-made fibres to U.S.A., E.E.C. member states, Canada and Austria, from 1-1-83 to 31-12-1983.

F. No. 2(53)/82-EI.—1. The Scheme : This Public Notice is in continuation of Public Notice No. 36 ETC (PN)/82 dated 18th September, 1982 and relates to the export of certain fabrics and/or madce-ups items of cotton, wool and man-made fibres to U.S.A., E.E.C. member states (Federal Republic of Germany, France, Italy, Benelux, U.K., Republic of Ireland, Denmark and Greece), Austria and Canada. A separate Public Notice will be issued in respect of export of fabrics/made-ups to Sweden.

2. *Agencies for the Administration of the Scheme* :

Unless otherwise directed, the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay (TEXPROCIL) will allocate export entitlements for all fabrics and made-ups except woollen fabrics and made-ups, for which Export entitlement allocation will be done by the Wool and Woollens Export Promotion Council, New Delhi (W & WEPC). However, necessary certification for all fabrics and made-ups including the woollen fabrics and made-ups will be done by the Cotton Textiles Export Promotion Council. Lists of categories of textile products covered under the Scheme are available with the Cotton Textiles Export Promotion Council and the Wool and Woollens Export Promotion Council Government reserves the

right to make changes, as considered appropriate, with regard to the agencies for the administration of the Scheme.

3. *Reservation for Segments* :

Wherever export entitlements for cotton, Woollen and man-made fibres are combined, the reservation for woollen and synthetic items will be done in terms of specific quantities. The actual quantities will be determined by the Textile Commissioner after ascertaining the firm requirements from the respective Councils, keeping in view the past pattern, and prevailing trends. Depending upon the demand trend, the quantities so fixed may be modified.

4. *Slow moving Items* :

(i) In line with the practice followed during the year 1982, the provisions regarding Earnest Money deposits and Bank Guarantees would be dispensed with in the case of slow-moving items, specially identified for this purpose by the Textile Commissioner on the basis of past exports and prevailing trends.

(ii) For the identified slow-moving items, applicants will have to submit only the performance bond in the proforma prescribed by TEXPROCIL without any Bank Guarantee or Cash deposit.

5. *Earnest Money Deposits, Bank Guarantees and Forfeitures Thereof* :

5.1 An exporter who exports not less than 90% of the export entitlement allotted to him under FCFS Contract Reservation or FCFS ready goods system in a particular export entitlement period or within the whole year under Past Performance System, will not be liable to the forfeiture of EMD/Bank Guarantee An exporter who performs not less than 75% but less than 90% will have to pay proportional forfeiture. If the export entitlement utilisation is less than 75% the exporter will be liable to forfeiture of his EMD/Bank Guarantee in full. This will be subject to force majeure conditions, wherever these arise.

5.2 In cases where the utilisation is not less than 75% within the validity period, the exporter may be given the option to seek extension for the next allotment period within the export entitlement year. Application for extension shall be filed within one month of the end of the relevant export entitlement period. In such cases, the exporter will have to execute a bond supported by Bank Guarantees at double the rates as given in para 5 of Public Notice No. 36 ETC(PN)/82 dated 18th September, 1982 for the balance quantity. In the case of his failure to export fully, the bond/bank guarantee will be liable to be forfeited in full.

5.3 Exporters to whom export entitlements are allotted in terms of this policy, but who do not utilise them would render themselves liable to disqualification from future allotment, without prejudice to any other action that may be taken in this behalf.

6. *Appeal against forfeiture of EMDs/Bank Guarantees* :

For the purpose of giving due consideration to representations made by exporters against forfeiture of EMDs/Bank Guarantees for non-utilisation of allotted export entitlements, the following procedure will apply. On forfeiture of EMDs/Bank Guarantees by the Cotton Textiles Export Promotion Council the exporters concerned may appeal against such forfeiture to the Textile Commissioner, Bombay within fifteen days of receipt of the Communication regarding the forfeiture. The Textile Commissioner shall, upon receipt of the representation, give a ruling as early as possible. If, in any case the exporter is not satisfied with the decision of the Textile Commissioner, he may prefer an appeal against the decision within 15 days of receipt of the communication conveying the decision. The second appeal will be with the Department of Textiles and will be dealt with by an Appellate Committee constituted by the Government.

7. *Supervision of Allocation of Export Entitlements* :

The Textile Commissioner, Bombay, will continue to exercise day to day supervision over the matters relating to allocation of export entitlements. A Co-ordination Committee with the Textile Commissioner as Chairman and with the representatives of the concerned EPCs as members will review the operation of the policy periodically. On matters where there is difference of opinion, the decision of the Textile Commissioner will be final.

8. *Clearance by Customs* :

A. *Products under restraint* :

Shipments will be allowed by Customs authorities at the ports of shipment after verifying the certification of export entitlement on the original and duplicate of shipping bills for individual consignments issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council or any other appropriate agency designated for this purpose.

B. *Handloom Products* :

In so far as exports of all handloom fabrics/made-ups corresponding to restrained items are concerned, shipments will be permitted by the Customs on the basis of 'Inspection Endorsement' by the Textile Committee in Part-2 of the Combination Form.

C. *Made-ups Falling Under India Items* :

In respect of 'India Items' which are traditional folklore handicraft textile products of India shipments will be permitted by the Customs for exports to EEC, U.S.A., Finland, Austria and Canada on the basis of appropriate certificate issued by the Office of the Development Commissioner (Handicrafts) or the Textile Committee.

9. (A) *Export Certificate, Certificate of Origin and Visa* :

The following certification required under the relevant Bilateral Textile Agreement will be issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council or any other body duly authorised in this behalf :

(i) *U.S.A.*—(a) Visa for all Mill-made fabrics and made-ups consignments valued over US $ 250.

(b) Exempt Certificate for consignments valued at US $ 250 or less.

(ii) EEC.—(a) Export Certificate and Certificates of origin for all restrained items of Powerloom/Mill-made/Knitted origin.

(b) Certificate of Origin for non-restrained items of Powerloom/Millmade/knitted origin.

(iii) *Canada.*—Export Certificates for fabrics and made-ups of powerloom, mill-made or knitted Origin which are subject to restraint except for consignments valued at less than Canadian $ 500.

(iv) *Austria.*—Export Certificates for Fabric/Made-up of Powerloom/Mill made origin subject to restraint or surveillance.

9. (B) *Handloom Exempt Certificate* :

In the case of export of all Handloom fabrics/Made-ups corresponding to restrained items to Canada, Cotton Handloom Textile Fabrics/Made-ups to Austria, all Handloom fabrics and made-ups to EEC and the U.S.A., the Textile Committee will issue the Certificate as prescribed in the Bilateral Agreements for such products.

10. Government reserves the right to make amendment to any of the foregoing provisions without giving prior notice.

11. The address of the concerned Export Promotion Councils and of the Offices of the Textile Commissioner, Textile Committee and Development Commissioner (Handicrafts) are as follows :

(1) The Cotton Textiles Export Promotion Council, Engineering Centre, 5th Floor, 9, Mathew Road, Bombay-400004.

(2) The Wool and Woollen Export Promotion Council, 612/714, Ashoka Estate, 24-Barakhamba Road, New Delhi-110001.

(3) Office of the Textile Commissioner Post Box No. 11500. Bombay-400020.

(4) Textile Committee, 'Crystal' 79, Dr. Annie Basant Road, Bombay-400018.

(5) Development Commissioner (Handicrafts), West Block VII, R. K. Puram, New Delhi-110022.

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller,
Imports and Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982